

51

दिनांक 31 जुलाई 2015



भारत सरकार/Government of India
 गृह मंत्रालय/Ministry of Home Affairs
 भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय
 OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA
 2/ए, मानसिंह रोड, नई दिल्ली - 110011
 2/A, Man Singh Road New Delhi - 110011

स. 1/12/2014-वीएस-(सीआरएस)/806

दिनांक: 31 जुलाई, 2015

परिपत्र

MIS

विषय: जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों की उपयोगिता के संबंध में।

महोदय/महोदया,

आरंभिक
 आधिकारिक
 दि.

जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 के प्रावधानों तथा उनके अन्तर्गत बनाए गए समस्त नियमों के तहत किया जाता है। यह कार्यालय संलग्न के मुख्य रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु के कार्यालयों के समन्वय और एकीकरण के संबंध में केन्द्रीय प्राधिकरण है। वर्ष 2020 तक जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को सार्वजनिक बनाने के लिए भारत ने अभी हाल ही में सहतावकशी विज्ञापन जारी की घोषणा की है। उक्त साक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस कार्यालय ने अनेक प्रयत्न की है।

आधिकारिक

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अन्तर्गत जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को अनिवार्य किए जाने के 46 वर्षों के पश्चात भी भारत आज इस क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है और जन्म और मृत्यु के संबंध में लगभग 15 और 30 प्रतिशत मामलों का पंजीकरण नहीं हो रहा है। आदर्श रूप से देखा जाए तो जन्म प्रमाणपत्र किसी व्यक्ति के जीवन का पहला आधिकारिक दस्तावेज होता है और मृत्यु प्रमाण पत्र किसी का जीवन समाप्त होने का प्रमाणपत्र होता है। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार की प्रविष्टियां सार्वजनिक दस्तावेज होती हैं तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 35 के अन्तर्गत साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है। ये प्रविष्टियां जन्म अथवा मृत्यु प्रमाण की मान्यता को सबसे अधिक निष्कर्ष (अंतिम) साक्ष्य होती हैं। उन प्रविष्टियों के आधार पर आरबीडी अधिनियम, 1969 के धारा 12 और 13 के प्रावधानों के अन्तर्गत जन्म और मृत्यु संबंधी उद्घरण/प्रमाणपत्र जारी किए जाते हैं तथा ये प्रविष्टि से संबंधित व्यक्ति के जन्म अथवा मृत्यु को प्रमाणित करने के प्रयोजन से साक्ष्य के रूप में प्रयोज्य होते हैं। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत जारी प्रमाणपत्र विधिक दस्तावेज होता है।

3. यह कार्यालय अपेक्षा करता है कि आपके कार्यालय द्वारा जनता को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं में जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों की उपलब्धता से जोड़ा जाना चाहिए जिससे जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों की उपयोगिता बढ़ेगी। इसके परिणामस्वरूप जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का राष्ट्रीय स्तर स्तर की संपूर्ण पंजीकरण की आशा बढ़ेगी।

14/11/15

4. इसलिए संबंधित प्राधिकारियों को उनके द्वारा दी जाने वाली निम्न स्तरीय जानकारी सेवाओं से जोड़ने और मृत्यु प्रमाणपत्र की उपलब्धता से जोड़ने के लिए निर्देश दिए जाएं।

- मातृत्व लाभ योजनाएं और जननी सुरक्षा योजना (जेएनएसडी)
- टीकाकरण कार्डों से जन्म का पंजीकरण हुआ है अथवा नहीं, को दर्शाने वाले कार्डों की शीटों को बनाने
- स्कूल में प्रवेश
- राशनकार्ड/परिवार रजिस्टर में बच्चे का नाम शामिल करना
- सरकारी और गैर सरकारी सेवा में पतिव्रति और सेवा पुरस्कारों का रखरखाव
- मतदाता सूची/संजगर कार्यालय में नाम शामिल करना
- पासपोर्ट/डाइविंग लाइसेंस जारी करना
- आधार/एनपीआर पंजीकरण
- विवाह और तलाक/संबंध विच्छेद पंजीकरण
- राशनकार्ड/परिवार रजिस्टर से नाम हटाना
- उत्तराधिकार के मुद्दों के निपटान के संबंध में
- बीमा दावों के निपटान के संबंध में
- पारिवारिक पेशान के निपटान के संबंध में

5. साथ ही अनुरोध किया जाता है कि राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न सेवाओं/कार्यों में संबंध में जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों के प्रयोग को बढ़ाने के लिए ऐसे प्रयास प्रारंभ करें। इस संबंध में किसी भी प्रयासों की जानकारी इस कार्यालय को भी दी जाए।

६०

(सि. वि. वि. वि. वि.)

भारत के महासचिव

भारत के महासचिव द्वारा जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र

सेवा में,

1. विदेश मंत्रालय, विदेशी सेवाएं विभाग, भारत नियोजन आयोग, भारत सरकार के सचिव।
2. सभी मुख्य/ए. मुख्य/अपर मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु।
3. सभी जीवन बीमा कंपनियों के प्रमुख (सार्वजनिक/निजी दोनों प्रकार के जीवन बीमा कंपनियों)।
4. सभी मुख्य पासपोर्ट अधिकारी।
5. सभी राज्य परिवहन प्राधिकरण।
6. भारत के महासचिव के कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट।

संशोधन/संशोधन

संशोधन/संशोधन

(संशोधन/संशोधन)

संशोधन/संशोधन